(b) Does not arise.

(c) As the mining operations at Mosaboni mines are highly uneconomical and the Company is incurring heavy losses in operating these mines, the Board of Directors of HCL has, in principle, approved the proposal for closure of Mosaboni mines and the Company has sought permission from the Government for closure under Section 25(6) of the Industrial Disputes Act, 1947. Considering the interest of employees, Hindustan Copper Limited has been asked to draw up a scheme for rehabilitation/ relocation of the workers who would be affected in the event of closure of the mines. During the year 1995-96, the Ghatshila Unit including Mosaboni and Rakha mines suffered a loss of Rs. 44.32 crores out of which Mosaboni mines accounted for a loss of Rs. 28.37 crores. The loss incurred by the Ghatshila Unit including Mosaboni and Rakha mines during the year 1996-97 is estimated to be in the region of around Rs. 50 crores.

(d) & (e) In order to imprve its financial condition, the Company has attempted a number of measures which include reduction of inventory level, improvement in norms of consumption, recovery and productivity and reduction of administrative expenses.

The mining operation in Mosaboni Mines are now underway at a depth of 1.2 KM and mining at this depth has become costly because of the increased cost of pumping, hoisting and ventilation. The developed and proven ore body for regular mining operation has also almost been exhausted and despite attempts made by the Company to reduce cost of production, the mining operations at Mosaboni remain highly uneconomical.

मध्य प्रदेश के देवभोग क्षेत्र में उत्खनन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर

*511. **श्री राघवजी:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवभोग क्षेत्र में हीरे तथा अन्य मूल्यवान पत्थरों के उत्खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर आमंत्रित किए गए है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों के टेंडर प्राप्त हुए हैं;

(ग) देवभोग में उत्खनन की प्रक्रिया वर्तमान में किस चरण पर है तथा भावी योजना क्या है;

(घ) क्या विदेशी उत्खनन कंपनियों के मुकाबले देश की कंपनियों के मुकाबले देश की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) 2 मई, 1994 को विख्यात राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपा था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के दूतावासों को पत्र भेजे गए थे, जिनमें ख्याति प्राप्त भारतीय कंपनियां और भारत में निगमित/पंजिकृत अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों से उनकी विशेज्ञता, तकनीकी शक्ति, वित्तीय संसाधनों और प्रथम स्तर के हीरा भंडारों के पूर्वेक्षण की उनकी योजना तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में दूसरे स्तर के खनन प्रक्रिया और विपणन के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित आवेदन पत्र मांगे गये थे।

इस विज्ञापन के उत्तर में भारत और विदेशों से 23 कंपनियों/व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्होंने इस कार्यकलाप में रुचि दिखाई थी। राज्य सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जो मूल्यांकन के मानदण्डों के बारे में निर्णय करेगी।

17 जून, 1994 को समिति ने विभिन्न आवेदन पत्रों की जांच की और निम्नलिखित 5 पार्टियों को विस्तृत विचार विमर्श के लिए सूचीबद्ध किया।

(1) सीआरए एक्सप्लोरेशन लि. मेलबोर्न आस्ट्रेलिया (सीआरए)

(2) आस्टन माइनिंग इण्डिया लि. (एएमआईएल)

(3) डी बीर्यस सेन्टनरी एजी (डीबीयर्स)

(4) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)

(5) रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि.

30 जुलाई, 1994 को मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनियों को सूचीबद्ध करने के बारे में समिति की शिफारिस को मंजूरी देते हुए आरंभिक तौर पर निर्णय लिया। सितम्बर, 1994 में मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी मध्य प्रदेश में हीरा और एलेक्जेन्ड्राई भंडारों के बारे में पूर्वेक्षण लाइसेंस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस पर भारत सरकार का अनुमोदन चाहा।

(1) डीबीयर्स (इण्डिया) प्रोस्पोटिंग लि. के पक्ष में 17300 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में हीरे के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस देने की अनुमति।

(2) सीआरए द्वारा आवेदन किए गए 17907 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए, जो डीबीआई को नहीं दिया गया था उसके लिए सीआरए के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस।

(3) एएमआईएल के पक्ष में 1465 वर्ग कि मी० के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस क्योंकि डी बीयर्स और सीआरए ने उसके लिए आवेदन पत्र नहीं दिया था।

इस बीच राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के अन्तर्गत उदारीकरण के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने नए मार्गदर्शन जारी किए जिनके अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस के अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा रखे जाने वाले क्षेत्र को 25 वर्ग किमी. से बढ़ाकर 10,000 वर्ग कि मी० किया गया। केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त तीनों प्रस्तावों को यह कहकर राज्य सरकार को लौटा दिया कि 30.10.96 को जारी किए गए उपर्युक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उन प्रस्तावों की पुन: जांच करें और पुन: प्रस्तुत करें।

तथापि 6.2.97 को मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया कि उपरोक्त तीनों प्रस्ताव जो मैसर्स डी बीयर्स मैपेन आस्टन और सीआरए के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए थे उन्हें रद्द समझा जाए।

(ख) 23 आवेदकों के नाम जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे विवरण दिए गए है। (नीचे देखिए)।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 20.11.96 को अधिसूचना द्वारा मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि० को राज्य सरकार को एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो रायपुर, बस्तर, दुर्ग, राजनन्द गांव, बिलासपुर, रायगढ़, सरगूजा, सीदी, सतना, पन्ना और चित्रपुर जिलों में स्वर्ण और हीरा संसाधनों का पता लगाएगें और उसका विदोहन करेंगे। इस अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश खनन निगम लि० इन जिलों में संयुक्त/समर्थित क्षेत्र भागीदारी के रूप में हीरा और सोने के लिए पूर्वेक्षण/खनन कार्य करेगा।

विवरण

हीरे तथा अन्य मूल्यवान पत्थरों के उत्खनन के लिए प्राप्त आवेदकों के नाम

1. सी०आर०ए० एक्सप्लोरेशन लि०, आस्ट्रेलियन।
2. अशटोन माइनिंग इण्डिया प्रा० लि०, इण्डिया।
3. आस्ट्रेलियन कीम्बरले डाइमण्ड एनएल, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया।
4. नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, इण्डिया।
5. रिलायेंस इण्डस्ट्री लि० इण्डिया।
6. डी बीयर्स सोनेट्री स्वजीरलैंड।
7. गल्फ रिसोर्श पेसिफिक लि० आस्ट्रलिया।
8. स्टोक डाले प्रोस्पेक्टिंग, आस्ट्रेलिया।
9. एंग्लो अमेरिकन कारपोरेशन आफ साउथ अफ्रीका लि०, साउथ अफ्रीका।
10. कोरेर स्टोन डाइमण्ड इण्टरनेशनल, यू०के०।
11. काशी एक्सपोर्टस प्रा० लि०, इण्डिया।
12. रत्न जैम्स कारपोरेशन, इण्डिया।
13. हिन्दुस्तान अलाय, इण्डिया।
14. जियोमैसूर सर्विस, इण्डिया।
15. जियोटेक्नीकल जियो साइन्टिफिक एण्ड जियोटेक्नीकल कनसलेन्सी सर्विस इण्डिया।
16. नारने मिनरल्स लि० इण्डिया।
17. एम.बी. भंडारी एंड कंपनी, इण्डिया।
18. डायमण्ड मिनरल्स लि०, इण्डिया।
19. घनश्याम दास व्यास, इण्डिया।
20. जियोलोजिकल एशोसिऐशन एंड रिसर्च सेन्टर, इण्डिया।
21. नाव भारत फ्यूज कंपनी इण्डिया।
22. एम०एम०टी०सी० लि०, इण्डिया।
23. आर०एल० एग्रोटेक लि०, इण्डिया।

Constitutional Provisions on Centralised Planning

*512. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are still pursuing Centralised planning not provided in the Constitution and preparing the Ninth Five Year Plan based on the erstwhile Soviet methods of planning;

(b) whether there is any proposal to discontinue Centralised planning and adopt scientific partcipative regional planning provided in the Constitution; and